न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 66 / 2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2021 / 47

उनवान

1. ग्राम पंचायत बामनिया तहसील सलूम्बर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बामनिया
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बामनिया तहसील सलूम्बर

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर सा. जिला उदयपुर
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील सलूम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम एवं इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/03/25

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा–वादीगण।
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता– प्रतिवादीगण।

वादी के वाद के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि मौजा एवं पटवार हल्का बामनिया तहसील सलूम्बर का नया मौजा बिचली मंगरी तहसील सलूम्बर की चारागाह की सा.आ.नं. 3478 / 1 मीन रकबा 2 बीघा 10 बिसवा एवं सा.आ.नं. 3463 / 1 मीन रकबा 3 तीन बीघा चारागाह की भूमि आबादी विस्तार के लिये तत्कालीन ग्राम पंचायत बामनिया ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर से निवेदन कर आबादी में तारीख 25–1–1975 को कराई एवं आबादी होने के बाद आबादी भूमि का इन्तकाल नं. 1290 ग्राम पंचायत बामनिया तहसील सलूम्बर के नाम स्वीकृत हुआ था एवं उक्त भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के खाते दर्ज हुई थी।

सा.आ.नं. 3478 मीन में श्री शंकरलाल, महेश, नारायण, जगदीश, चिरंजीव, शरद, लक्ष्मीनारायण, नवदीप, सुमित, मुकेश आदि ब्राह्मण जाति के लोगों के मकान सन् 1960 के पूर्व के इनके बाप दादाओं के समय से बने हुए है क्योकि साबिक आ.नं. 3478 मंगरीनुमा खेतों की जमीन लेवल से थोडी ऊँचाई पर स्थित है, इसलिये मकान बनाये थे तथा इस सा.आ.नं. 3478 से लगे हुऐ निची लेवल पर पश्चिम दिशा में उक्त इन ब्राह्मणों के खातेदारी के खेत है जिनमें ये लोग काश्त कर रहे है। सा.आ.नं. 3478 मीन को चारागाह घोषित करने के पहले से ब्राह्मण व मीणा जाति के लोगों के मकान बने हुऐ है जिनमें इनके परिवार सहित निवास करते है। ग्राम पंचायत बामनिया के मगरा बिचली मंगरी के लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट आदि बिचली मंगरी वर्तमान में चारागाह की उक्त भूमि में मकान बने हुए है। उक्त तमाम घरों के सामने ग्राम पंचायत ने पक्की सडकों का निर्माण कराया है एवं सन्

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

1980 से विद्युत कनेक्शन, घरों में ले रखे है तथा कुछ लोगों ने ट्युब वेल भी खोद रखे है यानि उक्त भूमि आबादी के रूप में काम में वर्षों पूर्व से आज तक चली आ रही है।

सा.आ.नं. 3463 मीन रकबा 3 तीन बीघा में मीणा बस्ती आबाद हुई है जिसमें 40 से 50 परिवार के लोग वर्षों से इस भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत बामनिया वादी ने वादग्रस्त भूमि आबादी थी इसलिये उस पर पक्की सडकों का निर्माण कराया एवं मीणा जाति के गरीब लोगों ने मेहनत कर गाँव में करीब आधे मकान पक्के बना चुके है तथा घरों में विद्युत कनेक्शन ले रखे है। सन् 1960, के तत्कालीन पटवारी ने बिना मौका देखे राजस्व रेकार्ड में सा.आ. नं. 3463 एवं 3478 बिलानाम सरकार दर्ज थी इसलिये प्रस्तावित चारागाह की भूमि के लिये राज द्वारा मांगने पर उक्त आराजी नम्बर दे दिये जिससे उक्त भूमि बिलानाम सरकार से चारागाह में घोषित हो गई जिसकी ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की जानकार नही थी।

सन् 1975 में ग्राम पंचायत बामनिया के तत्कालीन पटवारी ने बतलाया कि जिस भूमि बिचली मंगरी में मीणा बस्ती व ब्राह्मण बस्ती के लोगों के मकान बने हुऐ है। उक्त भूमि चारागाह की भूमि है उसके बाद वादीगण ग्राम पंचायत बामनिया ने जॉच कराकर जहां जिस आराजी में मकान बने थे चाहे वह मीणा बस्ती हो अथवा अन्य जाति के लोगों की पूरी जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का से मिली जानकारी के आधार पर सा.आ.नं. 3478 मीन 2 बीघा 10 बिसवा एवं सा. आ.नं. 3463 मीन 3 तीन बीघा चारागाह की भूमि को आबादी में कराने का प्रस्ताव लेकर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सा. सलूम्बर को चारागाह की किस्म बदल कर उसे आबादी में कराने का निवेदन किया इसलिये श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय ने पंचायत द्वारा प्रस्तावित 5 बीघा 10 बिसवा में से 4 चार बीघा भूमि चारागाह से आबादी में परिवर्तन करने का आदेश तारीख 25–1–1975 को पारित किया एवं आबादी भूमि का इन्तकाल नं. 1290 से उक्त भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के खाते दर्ज हुई थी ।

सलूम्बर तहसील की दुबारा सर्वे राजस्थान सरकार ने सन् 1980 के बाद कराया जो 7–8 वर्ष तक चलता रहा जिसमे सेटलमेन्ट विभाग ने सक्षम अधिकारी श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी ने जिस चारागाह की भूमि को आबादी विस्तार के लिये ग्राम पंचायत बामनिया की प्रार्थना पत्र आबादी की उक्त भूमि को बिना किसी आदेश के चारागाह की भूमि में सा.आ.नं. 3478 मीन सा.आ.नं. 3463 मीन को जहां पर घनी आबादी वर्षों पूर्व से आबाद है उक्त भूमि को पुनः चारागाह की भूमि में दर्ज कर दी जिसके हाल आ.नं. 3415 / 0.25, 5740 / 3415 = 0.27 हे. कुल रकबा 0.52 हेक्टर चारागाह में दर्ज कर दी है। सेटलमेन्ट विभाग को आबादी भूमि की किस्म परिवर्तन कर चारागाह में अंकित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था एवं नहीं है इसलिये सेटलमेन्ट विभाग की उक्त गलती ग्राम पंचायत बामनिया के ध्यान में सर्वप्रथम जब तहसीलदार सलूम्बर ने बिचली मंगरी के निवासियों के विरूद्ध चारागाह की भूमि में मकान बनाने एवं उन्हे बेदखल करने के लिये धारा 91 रा. ले.रे. एक्ट के नोटिस भेजे एवं ग्रामीणों को बेदखल कर मकानों को जे.सी.बी. से ध्वस्त कराने की धमकी दी उसके बाद ग्राम पंचायत ने अपना वकील कर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान् जिला कलेक्टर उदयपुर एवं श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर को धारा 80 जा.दि. का रजि. सूचना पत्र 2 दो माह की अवधि का तारीख 11–6–2021 को प्रेषित किया जो इन्हे मिल गया एवं श्रीमान् अति. जिला कलेक्टर उदयपुर ने तहसीलदार सलूम्बर को पत्र लिखा कि नोटिस में वर्णित तथ्यों की पूर्ण जाँच कर 7 सात दिन में जॉच रिपोर्ट की प्रत वकील को व ग्राम पंचायत बामनिया को जाँच के नतीजे से सूचित करने को तारीख 18–6–2021 को कहा था एवं श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर को जॉच रिपोर्ट भी भेजने को कहा था परन्तु आज तक न तो वादग्रस्त भूमि आबादी की एवं नही तहसीलदार सलूम्बर ने हमें कोई सूचना दी एवं नही वादी पंचायत के धारा 80 जा.दि.

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

के नोटिस का कोई जबाव दिया इसलिये वादीगण को अब मजबुर होकर अब प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पेश करना पड रहा है।

वादीगण इस वाद में सा.आ.नं. 3478 रकबा 2 दो बीघा 10 बिसवा काटकर 1 बीघा 10 बिसवा एवं सा.आ.नं. 3463 मीन 3 तीन बीघा सन् 1975 में तारीख 25–1–1975 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी ने वादी ग्राम पंचायत बामनिया की प्रार्थना पर आबादी की उक्त भूमि को सेटलमेन्ट विभाग ने चारागाह हाल पैमाईश में करके हाल आ.नं. 3415/0.25, 5740/3415 = 0.27 हैक्टेयर कुल रकबा = 0.5200 हैक्टेयर को चारागाह में दर्ज कर दी है। उक्त भूमि को आबादी घोषित कराने एवं सेटलमेन्ट विभाग की गलती को इन्द्राज दुरस्ती से सुधारने के लिये वादीगण अब यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर रहे है।

अतः प्रार्थना है कि पुराना मौजा एवं पटवार हल्का बामनिया हाल मौजा बिचली मंगरी पटवार हल्का बामनिया की साबिक आबादी भूमि के हाल आराजी नं. 3415/0.25 एवं 5740/0.27 कुल कीता 2 रकबा 0.5200 हेक्टर आबादी भूमि को सा.आ.नं. 3478 मीन व 3463 मीन आबादी भूमि से बनना घोषित कर उक्त दोनों हाल आ.नं. 3415 एवं 5740/3415 की किस्म चारागाह से आबादी परिवर्तन कर उक्त दोनो आराजी वादी ग्राम पंचायत बामनिया के खाते अंकित फरमाई जावे एवं चारागाह के रकबे से उक्त दोनो आराजी एवं उसका रकबा कम की जावे। तथा वाद के दौरान एवं वाद का निर्णय हो जाने के बाद प्रतिवादी नं. 2 दो तहसीलदार सलूम्बर, वादी पंचायत बामनिया की उक्त हाल आ.नं. 3415/0.25, 5740/3415 0.27 हे. के अन्दर बिचली मंगरी में मकान बनाकर निवास कर रहे है है उनके विरूद्ध किसी प्रकार की नाजायज कब्जे की कार्यवाही नहीं करे एवं नही करावे एवं नही किसी प्रकार का निर्माण ध्वस्त करावे एवं नहीं उक्त कार्य अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करावें।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कियी गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन हाजिर आये। प्रतिवादीगण ने जबाब पेश कर अंकित किया कि वादपत्र की कलम संख्या 6 इस प्रकार स्वीकार है कि उक्त 4 बीघा भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के अधिकार क्षैत्र में दिनाक 25–01–1975 के श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी साहब के आदेश से आबादी दर्ज है। दोनो साबिक आनं. 3478 मीन व 3463 मीन आबादी भूमि को हाल पैमाईश में अमीनों ने भुल से आबादी भूमि को पुनः चरागाह भूमि में मिलाकर हाल आ.नं. 3415 रकबा 0.25 हेक्टर व आ.न. 5740/3415 रकबा 0.27 है कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर चरागाह मे दर्ज की है जो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार गलत है। इस भूमि पर बिचली मंगरी ब्राहम्ण बस्ती व मीणा बस्ती बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 जा.दि. 2 दो माह का नोटिर देना स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या में ग्राम पंचायत द्वारा साबिक आबादी भूमि को हाल पेमाईश मे चारागाह खाते में अंकित की थी उसे पुनः ग्राम पंचायत बामनिया ने अपने खाते कराने का यह वाद करना स्वीकार है।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण मे निम्नलिखित तनकियात कायम की गई–

1. क्या पुराना मौजा बामनिया हाल मौजा बिचली मंगरी की आराजी नं. 3415/0.25, 5740/0.27 कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर साबिक आ.नं. 3478 मीन एवं 3463 मीन आबादी भूमि से बने है?

–बजिम्मे वादी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2. क्या हाल पैमाईश में सेटलमेन्ट विभाग ने अपने 'अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आबादी भूमि हाल आ.नं. 3415 एवं 5740 को चरागाह में दर्ज कर दी है जो अवैद्य है?

–बजिम्मे वादी

3. क्या बिचली मंगरी पुरा गाँव वर्षों से साबिक आ.नं. 3478, 3463 आबादी भूमि पर बसा हुआ है एवं गाँव मे पक्की सडके नल, बिजली, ट्यूब वेल खुदे हुए है?

–बजिम्मे वादी

4. क्या वादी ग्राम पंचायत वादग्रस्त आबादी भूमि को पुनः आबादी घोषित कराने की अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

5. क्या वादी पंचायत इस वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध बेदखल नही करे की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है? वादग्रस्त भूमि से

–बजिम्मे वादी

6. दादरसी।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 श्री शरद कुमार पुत्र स्व. चिरंजीलाल उपाध्याय, पी.डब्ल्यू. 2 श्री वेला पुत्र रूपा मीणा, पी.डब्ल्यू. 3 श्री भेरा पुत्र जगु मीणा, पी.डब्ल्यू. 4 किशोरसिंह पुत्र पदमसिंह, पी.डब्ल्यू–5 श्री भगवतीलाल पिता लिम्बाराम मीणा के शपथ पत्र पेश किया एवं बयान कलमबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये–

प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 226
प्रदर्श–2 नामान्तरण संख्या 1290
प्रदर्श–3 नक्शा
प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति
प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल
प्रदर्श–6 धारा 80 जा.दि. नोटिस
प्रदर्श–7 व 8 धारा 80 जा.दि. नोटिस रसीद
प्रदर्श–9 से 21 फोटोग्राफ
प्रदर्श–22 से 24 बिजली बिल की प्रति
प्रदर्श–25 से 27 राशन कार्ड की प्रति
प्रदर्श–28 जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 खाता संख्या 704

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई गवाह पेश नही कराये। तदपश्चता पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि इस वाद के सा.आ.नं. 3478 मीन सा.आ.नं. 3463 मीन को जहां पर घनी आबादी वर्षों पूर्व से आबाद है उक्त भूमि को पेमाईश के दौरान अमीनो ने पुनः चारागाह की भूमि में दर्ज कर दी जिसके हाल आ.नं. 3415/0.25, 5740/3415 = 0.27 हे. कुल रकबा 0.52 हेक्टर चारागाह में दर्ज कर दी है। सेटलमेन्ट विभाग को आबादी भूमि की किस्म परिवर्तन कर चारागाह में अंकित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। उक्त भूमि को आबादी घोषित

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कराने एवं सेटलमेन्ट विभाग की गलती को इन्द्राज दुरस्ती से सुधारने के लिये वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रतिवादीगण का जवाब भी हमारे पक्ष मे है। अतः श्रीमान् से निवदेन है कि वाद डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादीगण की बहस जवाब अनुसार रही।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– क्या पुराना मौजा बामनिया हाल मौजा बिचली मंगरी की आराजी नं. 3415 / 0.25, 5740 / 0.27 कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर साबिक आ.नं. 3478 मीन एवं 3463 मीन आबादी भूमि से बने है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया करते हुए अंकित किया है कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के अधिकार क्षैत्र में दिनाक 25–01–1975 के श्रीनाम् उपखण्ड अधिकारी साहब के आदेश से आबादी दर्ज है। दोनो साबिक आनं. 3478 मीन व 3463 मीन आबादी भूमि को हाल पैमाईश में अमीनों ने भुल से आबादी भूमि को पुनः चरागाह भूमि में मिलाकर हाल आ.नं. 3415 रकबा 0.25 हेक्टर व आ.न. 5740 / 3415 रकबा 0.27 है कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर चरागाह मे दर्ज की है जो मौका एवं रिकार्ड गलत है। इस भूमि पर बिचली मंगरी ब्राहम्ण बस्ती व मीणा बस्ती बनी हुई है। प्रदर्श 2 नामान्तरण संख्या 1290 द्वारा आराजी नम्बर 3463 रकबा 3 बिघा व आराजी नम्बर 3478 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के नाम आबादी परिवर्तन करने की स्वीकृती का दाखला दर्ज अंकित है। तथा मौजा बामनिया की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 मे भी उक्त आराजी नम्बर 3463 रकबा 3 बिघा व आराजी नम्बर 3478 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि बिलानाम आबादी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज अंकित है। प्रदर्श 5 मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 3478 मीन से नये आराजी नम्बर 5740 / 3419 रकबा 0.27 व 3415 रकबा 0.25 हैक्टेयर बनाना प्रतीत होता है जो कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर बना है लेकिन साबिक आराजी नम्बर 3478 का नामान्तरण संख्या 1290 मे रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा था जिसका रकबा 0.3241 हैक्टेयर बनता है। पत्रावली मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर वादीगण ग्राम पंचायत की आबादी भूमि हाल आराजी नम्बर 5740 / 3415 रकबा 0.27, 3415 / 0.25 में मकानात बने हुये है। साबिक आराजी नम्बर 3478 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि को वादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है लेकिन साबिक आराजी नम्बर 3463 रकबा 3 बिघा वादीगण साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर अपने पक्ष मे पूर्णरूप से साबित नही कर पाये है।

तनकी नम्बर 2– क्या हाल पैमाईश में सेटलमेन्ट विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आबादी भूमि हाल आ.नं. 3415 एवं 5740 / 3415 को चरागाह में दर्ज कर दी है जो अवैद्य है ?

यह तनकी साबित करने का भार भी वादीगण पर है। इस तनकी का विवेचन तनकी नम्बर 1 मे किया गया है। साबिक आनं. 3478 मीन व 3463 मीन आबादी भूमि को हाल पैमाईश में अमीनों ने भुल से आबादी भूमि को पुनः चरागाह भूमि में मिलाकर हाल आ.नं. 3415 रकबा 0.25 हेक्टर व आ.न. 5740 / 3415 रकबा 0.27 है कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर चरागाह मे दर्ज की है जो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं प्रतिवादीगण के जवाब मे भी वादीगण के वाद के तथ्यों को स्वीकार किया है अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3– क्या बिचली मंगरी पुरा गाँव वर्षो से साबिक आ.नं. 3478, 3463 आबादी भूमि पर बसा हुआ है एवं गाँव मे पक्की सडके नल, बिजली, ट्यूब वेल खुदे हुए है?

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

यह तनकी साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण ने उक्त तनकी साबित करने के लिये वादीगवाह पी.डब्ल्यू. 1 श्री शरद कुमार पुत्र स्व. चिरंजीलाल उपाध्याय, पी. डब्ल्यू. 2 श्री वेला पुत्र रूपा मीणा, पी.डब्ल्यू. 3 श्री भेरा पुत्र जगु मीणा, पी.डब्ल्यू. 4 किशोरसिंह पुत्र पदमसिंह, पी.डब्ल्यू–5 श्री भगवतीलाल पिता लिम्बाराम मीणा के शपथ पत्र पेश किया एवं बयान कलमबद्ध कराये। तथा प्रदर्श–9 से 21 मौके के फोटोग्राफ, प्रदर्श–22 से 24 बिजली बिल की प्रति, प्रदर्श–25 से 27 राशन कार्ड की प्रतियां पेश कर की। जिससे वादवर्णित भूमि पर मौके पर मकानात बने होना जाहिर होता है।

तनकी नम्बर 4– क्या वादी ग्राम पंचायत वादग्रस्त आबादी भूमि को पुनः आबादी घोषित कराने की अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजता, जवाब दावा एवं गवाहो के बयानात को ध्यानपूर्व पढने से यह तथ्य जाहिर है कि प्रदर्श 2 नामान्तरण संख्या 1290 द्वारा आराजी नम्बर 3463 रकबा 3 बिघा व आराजी नम्बर 3478 रकबा 1 बिघा 10 आबादी परिवर्तन की गई, जो मौजा बामनिया की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 मे दर्ज अंकित है। आबादी की उक्त भूमि सेटलमेन्ट विभाग ने चरागाह हाल पैमाईश में दर्ज कर दी है जो रिकॉर्ड अवलोकन से त्रुटि पूर्ण होना जाहिर होता है। वादीगण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर आराजी नम्बर 3478 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि को अपने पक्ष मे साबित करने मे पूर्णरूप से सफल रहा है। अतः उक्त 1 बिघा 10 बिस्वा साबिक नम्बरो से बने हाल आराजी नम्बर 5740 / 3415, 3415 कुल किता 02 रकबा 0.52 हैक्टेयर मेसे =0.3241 हैक्टेयर भूमि की वादीगण घोषणा कराये जाने का अधिकारी पाया जाते है।

तनकी नम्बर 5–क्या वादी पंचायत इस वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध बेदखल नही करे की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है?

तनकी नम्बर 1 से 5 साबिक रकबा 1 बिघा 10 की भूमि को वादी अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहा है। अतः उक्त साबिक नम्बरो से बनी हाल आराजीयात की भूमि पर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

तनकी नम्बर 6– दादरसी

बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकीयात विवेचन से स्पष्ट है नामान्तरण संख्या 1290 द्वारा साबिक आराजी नम्बर आनं. 3478 मीन व 3463 मीन मेसें क्रमशः 1 बिघा 10 बिस्वा, 3 बिघा भूमि आबादी दर्ज किये जाने हेतु ग्राम पंचायत बामनिया के नाम स्वीकृत हुआ। उक्त बिलानाम आबादी भूमि जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में ग्राम पंचायत बामनिया के नाम दर्ज अंकित थी। सेटलमेन्ट के बाद सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को दोहराया जाना था। जो रिकॉर्ड अवलोकन से उक्त हाल रेकार्ड मे चरागाह दर्ज अंकित है जो त्रुटिपूर्ण होना जाहिर होता है। वादीगण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर आराजी नम्बर 3478 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि को अपने पक्ष मे साबित करने मे पूर्णरूप से सफल रहा है। अतः उक्त 1 बिघा 10 बिस्वा साबिक नम्बरो से बने हाल आराजी नम्बर 5740 / 3415, 3415 कुल किता 02 रकबा 0.52 हैक्टेयर मेंसे =0.3241 हैक्टेयर भूमि का मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती कर वादी ग्राम पंचायत बामनिया के नाम बिलानाम आबादी दर्ज किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस.

वाद संख्या–66/2021

उनवान– ग्राम पंचायत बामनिया बनाम सरकार वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट.

–::आदेश::–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर साबिक आराजी आनं. 3478 मीन से बने हाल आ.नं. 3415 रकबा 0.25 हेक्टर व आ.न. 5740/3415 रकबा 0.27 है कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर मेंसे 0.3241 हैक्टेयर भूमि चरागाह से कम कर हाल राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर उक्त 0.3241 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के नाम बिलानाम आबादी दर्ज किये जाने एवं खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला-सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 66 / 2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2021 / 47

उनवान

1. ग्राम पंचायत बामनिया तहसील सलूम्बर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बामनिया
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बामनिया तहसील सलूम्बर

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर सा. हाल जिला सलूम्बर
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील सलूम्बर

—प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम एवं इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गोपाल चौबिसा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि साबिक आराजी आनं. 3478 मीन से बने हाल आ.नं. 3415 रकबा 0.25 हैक्टेयरर व आ.न. 5740 / 3415 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 0.3241 हैक्टेयर भूमि चरागाह से कम कर हाल राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर उक्त 0.3241 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत बामनिया के नाम बिलानाम आबादी दर्ज किये जाने एवं खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 19/03/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	02	—	शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	2	—
2. शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	02	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	00	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	05	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	09	—	योग	02	—

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर